

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांकस्था.2/राज/सी/व्या/पदस्था./22/09/212

भोपाल,दिनांक 2/7/09


//आदेश//

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नानुसार व्याख्याताओं की पदस्थापना / स्थानांतरण उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थाओं में विषयमान से व्याख्याताओं के रिक्त पद पर समान सामर्थ एवं वेतन मान में की जाती हैं ।

2. यह पदस्थापनाएं स्वेच्छिक एवं स्वयं के व्यय पर होने के कारण किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होगी ।

स. क्र.	व्याख्याता का नाम	विषय	पूर्व पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
1.	श्रीमती पूनम त्रिखा	जीव विज्ञान	शास.उ.मा.वि. मुगलियाछाप जिला भोपाल	शास.सुल्तानिया क.उ. मा.वि भोपाल
2.	श्री प्रवीण कुमार जैन	गणित	जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल (प्रतिनियुक्ति से सेवार्ये वापसी उपरांत)	शास.उ.मा.वि.मिसरौद जिला भोपाल
3.	श्री धरमवीर खत्री	गणित	शास.उ.मा.वि. जनकगंज लश्कर ग्वालियर	शास.क.उ.मा.वि. गजाराजा ग्वालियर जिला ग्वालियर

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक स्था.2/राज/सी/व्या/पदस्था./22/09/213 भोपाल,दिनांक 2/7/09
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक,मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ वभन भोपाल ।
3. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल ।
4. कलेक्टर भोपाल /ग्वालियर ।
5. जिला कोषालय अधिकारी जिला भोपाल /ग्वालियर म.प्र. ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल/ग्वालियर की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व यह पुष्टि करले कि स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, स्कूल शिक्षा विभाग के ही व्याख्याता हैं , पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि

संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।

7. प्राचार्य, शास. सुल्तानिया क.उ.मा.वि.भोपाल / शास.उ.मा.वि.मिसरौदजिला भोपाल / शास.क.उ.मा.वि.गजराराजा ग्वालियर जिला ग्वालियर / शास.उ.मा.वि.गुनगा जिला भोपाल ।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।

Shan
संयुक्त संचालक 2/7/09
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.2/अ/संशोधन/21/2008-09/ 814

भोपाल, दिनांक 2/7/09


/आदेश/

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था.2/4/पदो./08/1587-1588, दिनांक 17.09.08 द्वारा निम्न लिखित शिक्षक की पदोन्नति शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता उ.मा.वि. के पद पर की जाकर विषयमान से रिक्त पद पर पदस्थापना कालम क्रमांक-4 में अंकित संस्था में की गई है। पदोन्नति उपरांत की गई पदस्थापना में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुये निम्नांकित नव पदोन्नत लोक सेवक को कालम क्रमांक-5 में अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

स.क्र.	शिक्षक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	विषय	व्याख्याता पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापना	नवीन संशोधित पदस्थापना
1	2	3	4	5
1	श्री अरुण कुमार पशीने, प्र.अ. शा.आदर्श उ.मा.वि. लांजी जिला बालाघाट	संस्कृत	शा.म.ल.बा.क.उ.मा. वि. नरसिंहपुर	शा.क.उ.मा.वि. लांजी जिला बालाघाट


- 1/ मूल पदोन्नति आदेश में अंकित शेष शर्तें यथावत रहेगी।
- 2/ पदोन्नत व्याख्याता दिनांक 10.07.09 तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति संशोधित पदांकित संस्था में व्याख्याता पद पर देंगे। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने पर इनकी पदोन्नति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

"प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार"


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 2/7/09

पृष्ठां.क्रमांक/स्था.2/अ/संशोधन/21/2008-09/ 815
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय जबलपुर।
4. कलेक्टर जिला बालाघाट म.प्र.।
5. जिला कोषालय अधिकारी बालाघाट म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बालाघाट/नरसिंहपुर म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित लोकसेवक को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि संबंधित लोकसेवक शिक्षक संवर्ग में सेवारत रहे हैं एवं उनकी पदोन्नति स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत व्याख्याता के पद पर संचालनालय के आदेश दिनांक 17.09.08 द्वारा हुई हैं। वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के लोक सेवक है तथा पदांकित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को आदेश जारी होने के दिनांक से एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित लोकसेवक के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
7. प्राचार्य, शा.क.उ.मा.वि. लांजी जिला बालाघाट/शा.म.ल.बा.क.उ.मा.वि. नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. संबंधित-श्री अरुण कुमार पशीने, प्र.अ. शा.आदर्श उ.मा.वि. लांजी जिला बालाघाट की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

